ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

The 6th November, 1995

No. 31/14/95-5JJ(I).—On the recommendation of the National Human Rights Commission in its annual report for the year 1993-94 by which the State Government has been requested to constitute a committee to consider establishing an inter departmental task force which observe the following works, namely:—

(1) monitoring of departmental programmes to ensure that they are in consonance with human rights requirements;

(2) monitoring the performance programmes of officers to ensure that they are sensitive to human rights consideration;

(3) where there are complaints of official misbehaviour, resulting from human rights violation, these should be speedily enquired into and exemplary action taken.

In the light of the above mentioned task work and according to Home Department letter Memo. No. 9/69/92-A-6HG-II, dated 2nd March, 1995, the Governor of Haryana hereby constitute a committee the consisting of the following members to observe that no violation of Human Rights is committed, namely:—

1. Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Administration of Justice Department .. Chairman
2. The Legal Remembrancer and Secretary to Government, Haryana, Law and Legislative Department (Head of the Department) .. Member
3. The Joint Legal Remembrancer and Joint Secretary to Government, Haryana, Law and Legislative Department .. Member

2. The Headquarter of the Committee will be at Chandigarh or at any other place in the Haryana State at the discretion of the Chairman.

3. The meetings of the Committee will be held quarterly to observe that the departmental programmes undertaken do not lead to violations of Human Rights and will suggest the remedial measures.

4. Travelling Allowance/Daily Allowance will be given to the members in accordance with Government instructions issued from time to time, and further conditions as laid down in the Travelling Allowance Rules for Government officers will apply to journey performed by the members.

A. N. MATHUR,
Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Administration of Justice Department.

न्याय प्रशासन विभाग

दिनांक 6 नवम्बर, 1995

संख्या 31/14/95-5जे०जे०(I)—वर्ष 1993-94 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिश पर, जिसके द्वारा आन्तरिक विभागीय कृतिक बल की स्थापना पर विचार करने के लिए सरकार को एक समिति का गठन करने का अनुरोध किया गया है, जो निम्नलिखित कार्यों का पर्यवेक्षण करेगी, अर्थात् :—

(1) विभागीय कार्यक्रमों को सुनिश्चित करने के लिए मानिटर करना कि वे मानव अधिकारों की अपेक्षाओं के अनुरूप है ।

(2) अधिकारियों के सम्पादन कार्यक्रमों को यह सुनिश्चित करने के लिए मानिटर करना कि वे मानव विचारों के प्रति संवेदनशील है ।

(3) जहां कर्मचारियों के दुर्व्यवहार करने की शिकायतों के फलस्वरूप मानव अधिकारों का अतिक्रमण है । तेजी से जांच की जानी चाहिए तथा अनुकरणीय कार्यवाही की जाए ।

उपर वर्णित कृतिक कार्य के प्रकाश में तथा गृह विभाग पत्र आदि संख्या 9/69/92-ए.6एच.जी.-II, दिनांक 2 मार्च, 1995 के अनुसार हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा यह पर्यवेक्षण करने के लिए कि मानव अधिकारों का कोई अतिक्रमण न हो, निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति का गठन करते हैं, अर्थात् :—

(1) वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग .. अध्यक्ष

(2) विधि परामर्शी एवं सचिव, हरियाणा सरकार, विधि एवं विधायी विभाग (विभागाध्यक्ष) .. सदस्य

(3) संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग .. सदस्य

2. समिति का कार्यालय चण्डीगढ़ अथवा अध्यक्ष के विवेक पर हरियाणा राज्य के किसी अन्य स्थान पर होगा ।

3. विभागीय कार्यक्रम का पर्यवेक्षण करने के लिए समिति की बैठकें त्रैमासिक होंगी, उपक्रम मानवीय अधिकारों के अतिक्रमण की ओर नहीं जाएंगे तथा उपचारात्मक उपाय सुझाएंगे ।

4. सदस्यों को यात्रा भत्ता तथा महंगाई भत्ता सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार दिया जाएगा तथा आगे की शर्तें सरकारी अधिकारियों के लिए यात्रा भत्ते में यथा अधिकथित अनुसार सदस्यों द्वारा की गई यात्रा को लागू होंगी ।

ए० एन० माथुर,
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग ।